

के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने हेतु
धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना
पूर्णतया सिद्ध होने से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत
आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 CPC (व्यवस्थापक
किया जाता है) आदेश लिखाया जाकर
सुनाना गया। पत्रावली वाले जवाब दावा प्रतिवादी
संग हेतु दि० 23/7/24 को पेश है।

3-7-24

पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण अनुपस्थित
प्रतिवादी अधिवक्ता उपठ। वकील वादीगण को
कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने के बाद
भी उपठ नहीं। वकील वादीगण के अनुपस्थित
रहने से वादीगण का वादपत्र अदम हाजरी/
अदम परवी में स्वारीज किया जाता है। पत्रावली
फैलल शुमार लेकर नम्बर लेकर है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला मीलगाड़ा